

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड राजकीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
(संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
(संशोधन) विधेयक, 2011
[सभा द्वारा यथापारित]
विषय—सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

- 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
- 2 झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2007) की धारा-5(1)(ख) का प्रतिस्थापन तथा धारा 5(ज) को अंतःस्थापित करना।
- 3 झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा-8 के अंत में उपधारा-7 का अंतःस्थापन।

झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–15 के लिये निर्धारित राज्य राजकोषीय समेकित नीति के अनुरूप झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवे वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :—

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2007) की धारा 5(1)(ख) का प्रतिस्थापन तथा धारा 5(ज) को अंतः स्थापित करना।

- (i) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5(1)(ख) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“दिनांक 31 मार्च, 2012 की समाप्ति पर राजकोषीय धाटे को घटाकर अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3% (तीन प्रतिशत) तक सीमित करना।”

- (ii) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 5 के अंत में उपधारा 5(ज) निम्नवत् अंतः स्थापित की जायेगी, यथा :—

“राज्य के बकाया देनदारियों एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्षवार निम्नवत् प्राप्त करना।”

बकाया देनदारी लक्ष्य

(जी०एस०डी०पी० के % में)

वित्तीय वर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
लक्ष्य	29	28.5	27.8	27.3	26.9

3. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंत में उपधारा 7 का अंतः स्थापन।

‘राजकोषीय सुधार हेतु निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति, इसके सतत अनुश्रवण तथा बकाया देनदारियों की स्थिति की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की जायेगी। समिति की रूपरेखा, सदस्यों की संख्या, सदस्यों का चयन, कार्य पद्धति तथा समिति के कार्यालय के स्वरूप के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार यथा विहित नियमावली बनायेगी।’

(प्राप्तिशील) प्रभारी उपर द्वारा दर्शाया गया अधिनियम द्वारा

प्राप्तिशील उपर दर्शाया गया अधिनियम

प्राप्त होने वाला अधिनियम दर्शाया गया (i)

प्राप्त विवरण के छोटी किंवद्दन अधिनियम दर्शाया गया (ii)

2005 अधिनियम लागत उपर द्वारा दर्शाया गया अधिनियम दर्शाया

नहीं दर्शाया गया (iii)(i) द्वारा कि (2005 द्वारा दर्शाया गया)

प्राप्त विवरण का कि (ii) द्वारा

कि 2005 अधिनियम लागत उपर द्वारा दर्शाया गया अधिनियम दर्शाया (i)

— नहीं प्राप्तिशील लागतीय विवरण के एवं नवीनी कि (ii)(i) द्वारा दर्शाया गया कि उपर दर्शाया गया अधिनियम कि 2005 विवरण का कानूनी

विवरण के (लागतीय विवरण) नहीं दर्शाया गया अधिनियम दर्शाया

— नहीं प्राप्तिशील लागत उपर दर्शाया गया अधिनियम दर्शाया (ii)

— नहीं प्राप्तिशील लागत नवीनी (ii)(i) दर्शाया दर्शाया के द्वारा

कि लागत नहीं दर्शाया गया अधिनियम दर्शाया गया के द्वारा

— प्राप्तिशील लागत नवीनी अधिनियम दर्शाया

प्राप्तिशील लागत

(विवरण के विवरणीय विवरण)

SI-1002	SI-1003	SI-1004	SI-1005	SI-1006	SI-1007
१०५	८१२	८१२	८१२	८१२	८१२

यह विधेयक झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 30 अगस्त, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 30 अगस्त, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ।

यह एक धन विधेयक है।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष ।

(१) झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011 को लाइने की जायेगा।

(२) इसका विस्तृत समारोह झारखण्ड भूज में होगा।

(३) एक राजकीय भूजट में अधिकृति होने की तात्परी रखनी होती।

२. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक, 2007 (झारखण्ड विधेयकम् ०७, २००७) को धारा ५(१)(व) का प्रतिलिपन तथा धारा ५(ज) को लातूर राजपिता करना।

३. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक, 2007 को धारा ५(१)(व) का निम्न रूप है प्रतिलिपित विधेयक विधेयक, २००७-१-

दिनांक ३१ जानूर्य, २०१२ की तात्परी के राजकीय भूजट को खटाकन अनुसन्धान भूज राज्य उपाद राज्य ३५% (दीन प्रतिशत) तक लीकिया जाना।

४. झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक, 2007 को धारा ५ के प्रति ए उपायात ५(ज) निम्नलिखित के समिति की जाकरी यथा—
“भूज राज्य के वकाया देनदारी की भूज राज्य घरेलू जिला का अनुसार वडावार नियन्त्रण पाल करना।”

वकाया देनदारी लाये

लौंगपाटी दोलीमढ़ी का ५८०

विद्यालय नम्बर	२०१०-११	२०११-१२	२०१२-१३	२०१३-१४	२०१४-१५
वकाया	३८५	३८५	३८६	३८६	३८६